भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4200
जिसका उत्तर बुधवार,21मार्च,2018 को दिया जाना है

संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम

4200श्री शिवकुमार उदासि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद द्वारा अब तक कुल कितने अधिनियम बनाए गए हैं;

(ख) देश में मूलभूत और मौलिक कानूनों के बारे में आम जनता की जागरूकता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का जनता के लिये उपयोगी मूलभूत और सामान्य कानूनों को विद्यालयों और महाविद्यालयों की पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;और

(घ) क्या संविधान और अन्य केन्द्रीय अधिनियमों को अनुदित कर अनुसूचित भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) और (ख) : अभी तक, संसद ने 3831 अधिनियम अधिनियमित किए हैं (जिसके अंतर्गत विनियोग अधिनियम, रेलवे विनियोग अधिनियम और संशोधन अधिनियम भी हैं) । विधि और न्याय मंत्रालय ने ऐसे सभी अधिनियमों को जो प्रवृतन में है, को उसकी वेब साइट http://legislative.gov.in पर रखा गया है जो वर्तमान में पुननिर्माण के अधीन है ।

(ग) : अंतर्विष्ट नागरिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता और सभ्य समाज के लिए आवश्यक अनुप्रमाणित मूल्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तर पर, एनसीईआरटी ने उच्च प्राथमिक स्तर से पाठ्यपुस्तकों में मौलिक विधियों और साधारण विधियों के आधारभूत सिद्धांतों को सम्मिलित किया है । भारत का संविधान एक सामान्य थीम है जो कक्षा 6 से 8 तक की राजनैतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में पढाया जाता है । उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों के अतिरिक्त संसद द्वारा अधिनियमित विभिन्न विधियां सुसंगत संदर्भ में उल्लिखित हैं । ऐसी विधियों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं :-

- बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (2016 में यथासंशोधित)
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986
- हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
- निश:क्त व्यक्त के अधिकार अधिनियम, 2016

- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- अनूसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2007
- पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014

इसके अतिरिक्त, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनैतिक जीवन-3 शिक्षार्थियों को हमारी विधिक प्रणाली से परिचित कराता है ।कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तकें गणतंत्रात्मक राजनीति-1, न्यायपालिका को हमारी राजनीतिक संस्थाओं कार्यप्रणाली के भाग के रुप में समाहित करती है। कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इंडियन कांस्टीटयूशन एट वर्क में न्यायपालिका पर एक व्यापक अध्याय है।

विश्वविद्यालयों और उसके सहबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए पाठय विवरण उसके समुचित निकाय (निकायों) की सिफारिशों और संबद्ध कानूनी परिषद यदि कोई हो, द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में संबंद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा डिजाइन और विकसित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीबी) जिसके अधीन विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों के गुच्छे में से चुनने का प्रस्ताव दे सकते हैं, को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को सलाह दे रहे हैं जिसके अंतर्गत मौलिक और साधारण विधियों में पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जा सकता है।

(घ): जी हां । भारत का संविधान और अन्य केंद्रीय अधिनियम भारत की अनुसूचित भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित किए जाते हैं। भारत का संविधान हिन्दी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची की 15 भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़,मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलगू, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में प्रकाशित किया गया हैं और केंद्रीय अधिनियम हिन्दी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनूसूची की 11 भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलगू और उर्दू में प्रकाशित किए जा रहे हैं ।

****